न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 200 सन 2013
अनवान :–

1. अर्जून कुमार पुत्र जैसाराम जाति ब्राह्म्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. ज्ञानचन्द पुत्र फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर
3. भानीराम पुत्र फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
4. निर्मला पुत्री फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
5. विदयादेवी पुत्री फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर
6. कौशल्या पुत्री फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

7. बिरमादेवी पत्नी जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।।
8. लिछमा पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
9. परमेश्वरी पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
10. राजकुमारी पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
11. मायादेवी पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
12. भीमसैन पुत्र जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
13. रमेश कुमार पुत्र जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
14. शंकरलाल पुत्र जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/08/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 58/41 के खसरा न0 634 की 58.11 बीधा भूमि स्थित है जिसमें गोपाल वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा, फरसा वल्द बेगा का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है अर्थात गोपाल वल्द रामचन्द के हिस्से में 9.16 बीधा व फरसा वल्द बेगा के हिस्से में 9.16 बीधा भूमि आती है प्रतिवादीगण के पिता फरसाराम वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार था अर्थात 19.16 बीधा भूमि का फरसा वल्द बेगा अकेला खातेदार काश्तकार था क्योकि गोपाल वल्द रामचन्द कुंवारा फोत हो चूका उसका उतराधिकारी प्रतिवादीगण का पिता फरसा अकेला खातेदार काश्तकार था।

रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 267 की 58.11 बीधा भूमि जो खाता संख्या 36/106 में सम्वत 2014 से 2017 की [illegible] दर्ज थी उक्त भूमि पैमाईश भू9 प्रबन्धक विभाग द्वारा गत साबिका खसरा न0 267 [illegible] को [illegible]मान खसरा न0 634 में दर्ज व पैमुद हो चुकी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

गोपाल वल्द रामचन्द [illegible] मंदरपुरा कुंवारा [illegible] हो चुका था जिसका जायज वारिसान उसका भतीजा फर[illegible] वल्द बेगा है जो [illegible]25.19.1974 के प्रमाण पत्र ग्रांम पंचायत मंदरपुरा से रोशन है फरसा वल्द बेगा ने रोही मौजा खुईया के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खसरा न0 267 की उपरोक्त भूमि में से अपने व गोपाल के हिस्से की भूमि दिनांक 25.09.1974 को वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता व 7 के पति के नाम व अनकोरी बेवा मानाराम जाति ब्रहाम्ण को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त कर दी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 व 7 के पति जैसाराम, अनकोरी बेवा मानाराम को खोलायत पुत्र है तब से लेकर आज तकउक्त 19.16 बीधा भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी व तरतीबी प्रतिवादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है चुकि फरसा वल्द बेगा व गोपाल वलद रामचन्द के नाम वाद भूमि आज भी राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है चुकि उक्त दोनो फोत हो चुके है इसलिये वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण , प्रतिवादीगण के पिता व गोपाल केनाम दर्ज भूमि कुल 19.16 बीधा राजस्व रिकार्ड में कलमजन करवा अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में रोही मोजा खुईया के खसरा न0 634 की 58.11 बीधा में से गोपाल वल्द रामचन्द के 1/16 हिस्सा व फरसा वल्द बेगा के 1/6 हिस्सा कुल 19.16 बीधा भूमि दर्ज चली आ रही है जो वादी व तरतीबी प्रतिवादी के रजिस्टर बेयनामा दिनांक 25.09.1974 खरीदशुद्दा है इसलिये खातेदारी हकूक के खिलाफ है इसलिये वादी व तरतीबी प्रतिवादी उनके नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादीगण वाद भूमि गोपाल व फरसा के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वाद भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादी व तरतीबी प्रतिवीदगण को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वो वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण के हकों को स्वीकार कर लेवे तो कुछ दिनो तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा खुईया के खसरा न0 634 की 58 बीधा 11 बिश्वा भूमि में गोपाल वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा, फरसा वल्द बेगा का 1/6 हिस्सा दर्ज है अर्थात 19.16 बीधा भूमि के वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड से गोपाल वल्द रामचन्द , फरसा वल्द बेगा का नाम कलमज़न करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार कर ईकबाल दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जबाब पेश किया की वादग्रस्त भूमि वादी के पिता पुरूषोतम उर्फ फरसाराम , गोपाल पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी भूमि थी जिसका बेयनामा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता पुरूषोतम उर्फ फरसाराम ने जैसाराम व अनकोरी के हक में नही करवाया और ना ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा जैसाराम व अनकोरी को दिया ना ही जैसाराम व अनकोरी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता ने कोई प्रतिफल प्राप्त किया इसलिये आज भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वाद भूमि वादी के पिता व गोपाल के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादीगाण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि के बाबत बैयनामा दिनांक 25.09.1974 एक कुटरचित दस्तावेज है इसलिये प्रतिवादीगण को जैसे ही [illegible] कुटरचित दस्तावेज का ज्ञान हुआ तो प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने बेयनामा निरस्त करवाने का वाद न्यायालय सिविल न्यायालय नोहर में पेश कर दिया है वाद ज्ञानचन्द आदि बनाम अर्जन कुमार आदि न्यायालय में जैरकार है प्रतिवादीगण उतरदाता के पिता उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे उन्होने राजकीय संस्कृत कॉलेज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बनारस से 1946 में आयुवैदिक में शास्त्री की परीक्षा पास थे तथा प्रतिवादीगण के पित अपना नाम पुरूषोतम शर्मा ही लिखते थे फरसाराम उनका बोलता नाम था वे अपना हस्ताक्षर भी पुरूषोतम शर्मा के नाम से करते थे वादी द्वारा पेश बैयनामा दिनांक 25.09.1974 में हस्ताक्षर प्रतिवादी के पिता के नही है।

प्रतिवादीगण के पिता पुरूषोतम शर्मा आयुर्वेदिक वैद्य थे और नोहर के अनेक आयुर्वेदिक ओषधालय में चिकित्सक के पद पर कार्य किया तथा अपनी प्रेक्टीस भी करते थे उन्हे अपनी कृषि भूमि विक्रय करने की आवश्यकता नही थी वादी द्वारा पेश बेयनामा फर्जी है वादी ने बेयनामा के लम्बे समय वाद प्रतिवादीगण के पिता के देहान्त पश्चात दावा पेश किया है वादी ने प्रतिवादीगण के अधिकारो को स्वीकार किया है व कूटरचित बैयनामा को छुपाये रखा है इसलिये दावा वादी खारिज योग्य है

वादी ने अपने वाद में यह स्वीकार किया है रोही मौजा खुईया के ख्सरा न0 267 में तादादी 60 बीधा 3 बिश्वा भूमि मे फरसाराम 1/6 हिस्सा व गौपाल 1/6 हिस्सा यानी 19.16 बीधा भूमि थी जबकि बेयनामा 40.02 बीधा का होना अंकित किया है इसलिये बैयनामा कतई वेग व प्रभावहीन दस्तावेज है वाद भूमि रोही मौजा खूईय खसरा न0 267 की 60.03 बीधा भूमि में 1/6 हिस्सा फरसाराम व 1/6 हिस्सा गोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी बिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये गोपाल की भूमि का बैयनामा फरसा को करवाने का कोई अधिकार नही था बैयनामा कतई फर्जी है जिससे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

वादी के वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के जबाब दावा के आधार पर तनकी प्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता व 7 के पति जेसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम का खोलायत पुत्र है तथा वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है ।?

   वादी
2. आया फरसा वल्द बेगा ने रोही मौजा खुईया के खसरा न0 267 की भूमि में से अपने व गोपाल के हिस्सा की भूमि दिनांक 25.09.1974 को वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 14 के पिता 7 के पति के नाम व अनकोरी बेवा मानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा के नाम से बहिब उप पंजीयक के समक्ष बेयनामा करवा दिया ।?

   वादी
3. आया कि बेयनामा दिनांक 25.09.1974 एक कुटरचिज दस्तावेज है तथा बैयनामा कैनिलेशन का सिविल कोर्ट मे वाद जैरकार है।?

   प्रतिवादी
4. आया कि वाद भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता व 7 के पति जैसाराम का कोई अधिकार नही है ?

   प्रतिवादी

तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में स्वय अर्जूनराम ने एवं गोरर्धन ने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी की गई और साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी आरम्भ किये गये किन्तु साक्ष्य प्रतिवादी हेतु बार बार समय दिये जाने पर भी साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में व्यक्त किया की रोही मौजा खूईया के खाता संख्या 58/41 के खसरा न[illegible] भूमि स्थित है जिसमें गोपाल वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा, फरसा वल्द बे[illegible] का [illegible]/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है अर्थात गोपाल वल्द रामचन्द [illegible] वल्द बेगा के हिस्से में 9.16 बीधा भूमि आती है प्रतिवादीगण के पिता फरसा[illegible] वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार था अर्थात 19.16 बीधा भूमि का फरसा वल्द [illegible] अकेला खातेदार काश्तकार था क्योकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गोपाल वल्द रामचन्द कुंवारा फोत हो चूका उसका उतराधिकारी प्रतिवादीगण का पिता फरसा अकेला खातेदार काश्तकार था।

रोही मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 267 की 58.11 बीघा भूमि जो खाता संख्या 36/106 में सम्वत 2014 से 2017 की जमाबन्दी में दर्ज थी उक्त भूमि पैमाईश भू9 प्रबन्धक विभाग द्वारा गत साबिका खसरा न0 267 मिन के वर्तमान खसरा न0 634 में दर्ज व पैमुद हो चुकी है ।

गोपाल वल्द रामचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा कुंवारा ही फोत हो चुका था जिसका जायज वारिसान उसका भतीजा फरसा वल्द बेगा है जो दिनांक 25.19.1974 के प्रमाण पत्र ग्रांम पंचायत मंदरपुरा से रोशन है फरसा वल्द बेगा ने रोही मौजा खुईया के खसरा न0 267 की उपरोक्त भूमि में से अपने व गोपाल के हिस्से की भूमि दिनांक 25.09.1974 को वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता व 7 के पति के नाम व अनकोरी बेवा मानाराम जाति ब्रहाम्ण को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त कर दी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 व 7 के पति जैसाराम, अनकोरी बेवा मानाराम को खोलायत पुत्र है तब से लेकर आज तकउक्त 19.16 बीघा भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी व तरतीबी प्रतिवादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है चुकि फरसा वल्द बेगा व गोपाल वलद रामचन्द के नाम वाद भूमि आज भी राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है चुकि उक्त दोनो फोत हो चुके है इसलिये वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण , प्रतिवादीगण के पिता व गोपाल के नाम दर्ज भूमि कुल 19.16 बीघा राजस्व रिकार्ड में कलमजन करवा अपने नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादी के पिता पुरूषोतम उर्फ फरसाराम , गोपाल पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी भूमि थी जिसका बेयनामा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता पुरूषोतम उर्फ फरसाराम ने जैसाराम व अनकोरी के हक में नही करवाया और ना ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा जैसाराम व अनकोरी को दिया ना ही जैसाराम व अनकोरी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता ने कोई प्रतिफल प्राप्त किया इसलिये आज भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वाद भूमि वादी के पिता व गोपाल के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादीगाण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादग्रस्त भूमि के बाबत बैयनामा दिनांक 25.09.1974 एक कुटरचित दस्तावेज है इसलिये प्रतिवादीगण को जैसे ही उक्त फर्जी व कुटरचित दस्तावेज का ज्ञान हुआ तो प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने बेयनामा निरस्त करवाने का वाद न्यायालय सिविल न्यायालय नोहर में पेश कर दिया है वाद ज्ञानचन्द आदि बनाम अर्जन कुमार आदि न्यायालय में जैरकार है प्रतिवादीगण उतरदाता के पिता उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे उन्होने राजकीय संस्कृत कॉलेज बनारस से 1946 में आयुवैदिक में शास्त्री की परीक्षा पास थे तथा प्रतिवादीगण के पित अपना नाम पुरूषोतम शर्मा ही लिखते थे फरसाराम उनका बोलता नाम था वे अपना हस्ताक्षर भी पुरूषोतम शर्मा के नाम से करते थे वादी द्वारा पेश बैयनामा दिनांक 25.09.1974 में हस्ताक्षर प्रतिवादी के पिता के नही है।

प्रतिवादीगण के पिता पुरूषोतम शर्मा आयुर्वेदिक वैद्य थे और नोहर के अनेक आयुर्वेदिक ओषधालय में चिकित्सक के पद पर कार्य किया तथा अपनी प्रेक्टीस भी करते थे उन्हे अपनी कृषि भूमि विक्रय करने की आवश्यकता नही थी वादी द्वारा पेश बेयनामा फर्जी है वादी ने बेयनामा के लम्बे समय वाद प्रतिवादीगण के पिता के देहान्त पश्चात दावा पेश किया है वादी ने प्रतिवादीगण [illegible] किया है व कृटरचित बैयनामा को छुपाये रखा है इसलिये दावा वादी खारिज [illegible]

वादी ने अपने वाद में [illegible] रोही मौजा खुईया के खसरा न0 267 में तादादी 60 बीघा 3 बिश्वा भूमि में फरसाराम 1/6 हिस्सा व गौपाल 1/6 हिस्सा यानी 19.16 बीघा भूमि थी जबकि बेयनामा 40.02 बीघा का होना अंकित किया है इसलिये बैयनामा कतई वेग व प्रभावहीन दस्तावेज है वाद भूमि रोही मौजा खूईय खसरा न0 267 की 60.03

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बीधा भूमि में 1/6 हिस्सा फरसाराम व 1/6 हिस्सा गोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी बिना राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये गोपाल की भूमि का बैयनामा फरसा को करवाने का कोई अधिकार नही था बैयनामा कतई फर्जी है जिससे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्षों की बहस उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :-

तनकी न0 1– आया कि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता व 7 के पति जेसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम का खोलायत पुत्र है तथा वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है ।? वादी

तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने निवेदन किया की अनकोरी बेवा मानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर ने अपनें जीवनकाल में बुढापे में सेवा चाकरी एव वशं का नाम चलाने के लिये जैसाराम वल्द चेतनराम को खोले लिया गया था जो अनकोरी के साथ पिछले 20 सालों से रह रहा था तथा खोलानामा लिखवाया जाकर उप पंजीयन कार्यालय से पंजीबद्व भी करवाया गया था इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 का पिता जैसाराम , अनकोरी पत्नि मानाराम का खोलायत पुत्र है अपने कथनों की ताईद में खोलानामा की प्रति पेश की

वादी के उक्त कथनो के विरोध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने कोई कथन नही किया ना ही अपने जबाब में किसी प्रकार का अंकन किया गया है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जैसाराम , अनकोरी पत्नी मानाराम का खोलायत पुत्र होने पर कोई ऐतराज नही है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया है अर्थात प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 को भी जैसाराम अनकोरी पत्नी मानाराम का खोलायत पुत्र होने के सम्बध में कोई ऐतराज नही है

उपरोक्त अनुसार जैसाराम अनकोरी पत्नी मानाराम का खोलायत पुत्र होने के सम्बध में पंजीबद्व खोलानाम पेश किया गया है तथा वादी के कथनों को कोई विरोध नही होने के कारण जैसाराम , अनकोरी का खोलायत पुत्र माना जा सकता है।

अतः तनकी न0 1 पंजीबद्व खोलानामा के आधार पर एव किसी प्रकार का विरोध पेश नही होने पर तनकी न0 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है

तनकी न0 – 2 आया फरसा वल्द बेगा ने रोही मौजा खुईया के खसरा न0 267 की भूमि में से अपने व गोपाल के हिस्सा की भूमि दिनांक 25.09.1974 को वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 14 के पिता 7 के पति के नाम व अनकोरी बेवा मानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मन्दरपुरा के नाम से बहिब उप पंजीयक के समक्ष बेयनामा करवा दिया ।? वादी

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने अपनी तनकी के समर्थन में जमाबन्दी रोही मोजा खुईया सम्वत 2014 से 2017 , वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मन्दरपुरा , बैयनामा दिनांक 25.09.1974, मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा खुईया , मिसल बन्दोबस्त भु प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 , रजिस्टर फहरिस्त हकदारान रोही मौजा खुईया , फोटो कॉपी मृत्यू प्रमाण पत्र जैसाराम , वारिस प्रमाण पत्र जैसाराम पेश किये गये

वादी का कथन है कि रोही मोजा खुईया के साबिका खसरा न0 267 की 58.11 बीधा भूमि में से गोपाल वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा अर्थात 9.18 , फरसा वल्द बेगा का 1/6 हिस्सा अर्थात 9.18 बीधा कुल 19.16 बीधा भूमि आती थी गोपाल वल्द रामचन्द कुवारा फोत होने पर विधिक वारिस फरसा राम होने के कारण उक्त 19.16 बीधा भूमि का फरसाराम अकेला खातेदार काश्तकार हो गया था जिसने 25.09.1974 को उक्त 19.16 बीधा भूमि को जरिये बैयनामा जैसाराम पुत्र [illegible] मानाराम को फरोख्त कर दिया था और कब्जा भूमि का सौप दिया था जो [illegible] के समय से लेकर आज तक कब्जा काश्त में चली आ रही है जै[illegible] का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 है जो पूर्वजों के द्वारा खरीद की गई वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता पुरूषोतम उर्फ फरसाराम ने जैसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम के हक में कभी भी बैयनामा नही करवाया गया है ना ही कोई प्रतिफल प्राप्त किया गया है बैयनामा फर्जी है जिसका वाद सिविल न्यायलय में विचाराधीन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता पढे लिखे आयूवेदिक शस्त्री थे जिन्हे भूमि बेचान करने की आवश्यकता नही थी बैयनामा का अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के देहान्त होने पर पेश किया गया है वाद भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा नही है हमारे कब्जा काश्त की भूमि है लगातार हमारे कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के कथन एक दुसरे के विरोधाभाषी है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने कथनो के समर्थन में कोई विशेष दस्तावेजात पेश नही किया गये है

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 के अनुसार रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 65 के साबिका खसरा न0 267 की भूमि में गोपाल वल्द रामचन्द 1/6 हिस्सा एव फरसाराम वल्द बेगाराम 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिका खसरा न0 267 की भूमि को हाल खसरा न0 634 में परिर्वतन पैमुद किया गया जाकर गोपालराम वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा अर्थात 9.16 बीधा भूमि एवं फरसाराम वल्द बेगा का 1/6 हिस्सा अर्थात 9.16 बीधा भूमि दर्ज हुई है जो मिलान क्षेत्रफल एव मिसल बन्दोबस्त भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्णत्या सबित है।

ग्राम पंचायत मन्दरपुरा के प्रमाण पत्र के अनुसार गोपालराम वल्द रामचन्द्र लावल्द कुवारा फोत हुआ था जिसका विधिक वारिस फरसाराम वल्द बेगा हुआ था जिसका विरोध प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा भी नही किया गया है अर्थात गोपलराम का विधिक वारिस फरसाराम होना साबित है

गोपालराम पुत्र रामचन्द्र के देहान्त होने पर रोही मोजा खुईया के साबिका खसरा न0 267 हाल खसरा न0 634 की 9.18 बीधा भूमि का फरसाराम पुत्र बेगाराम के हक हिस्सा में आ गई जिससे फरसाराम वल्द बेगाराम स्वय का हिस्सा मिलाने पर साबिका खसरा न0 267 हाल खसरा न0 634 की 19.16 बीधा भूमि का हकदार हो गया था।

प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार फरसाराम वल्द बेगाराम ने रोही मौजा खुईया के खसरा न0 634 की भूमि में से अपने हक हिस्सा की 19.16 बीधा भूमि को जैसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम को दिनांक 25.09.1974 को बेचान किया गया है जो बैयनामा से प्रमाणित है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कथन है कि बेयनामा कुटरचित प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता ने बैयनामा नही करवाया गया है स्वीकार योग्य नही है प्रस्तुत बैयनामा की प्रति से पूर्णत्या सबित है कि फरसाराम ने ही जैसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम को वाद भूमि का बैयनामा करवाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने बेयनामा कुचरचित होने का कथन किया गया अपने कथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है मात्र कथनो के आधार पर पंजीबद्व दस्तावेज से इन्कार नही किया जा सकता है

उपरोक्त विवेचन से पूर्णत्या साबित है रोही मौजा खूईया के साबिका खसरा न0. 267 हाल खसरा न0 634 में से 19.16 बीधा भूमि जो फरसाराम पुत्र बेगाराम के हक हिस्सा की भूमि थी का बेयनामा जैसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम के पक्ष में करवाया गया था।

अतः तनकी न0 2 पंजीबद्व बैयनामा के आधार पर वादी के पक्ष में तय की जाती है

तनकी न. 3 – आया कि बेयनामा दिनांक 25.09.1974 एक कुटरचिज दस्तावेज है तथा बैयनामा कैनिलेशन का सिविल कोर्ट मे वाद जैरकार है।? प्रतिवादी

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कथन है कि बेयनामा कुटरचित है उनके पिता ने कभी कोई बेयनामा नही करवाया गया [illegible] बैयनामा निरस्त करवाने का वाद सिविल न्यायालय में पेश किया [illegible] के कथन पूर्णरूप से स्वीकार योग्य नही है क्योकि प्र[illegible] ने ऐसा कोई भी साक्ष्य सबुत पेश नही किया जिससे बेयनामा को कुटरचित कहा जा [illegible] जबकि बेयनामा उपपंजीयक से पजींबद्व है जो आदिनांक तक प्रभावी है प्रतिवादी का कथन है कि उनके पिता हस्ताक्षर पुश्षोतम के नाम से करते थे तथा बेयनामा में फरसा के हस्ताक्षर है हॉ यह सही है कि बैयनामा पर फरसा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर है क्योकि भूमि राजस्व रिकार्ड मे फरसाराम के नाम से ही दर्ज थी बैयनामा फरसाराम के नाम से ही किया जा सकता है पुरूषोतम नाम के व्यक्ति को बैयनामा करवाने का अधिकारी नही था तथा बैयनामा गवाहान की उपस्थित में करवाया गया है जिस पर सन्देह नही किया जा सकता है नाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने कोई ऐसा साक्ष्य पेश किया जिससे बेयनामा पर किसी प्रकार का सन्देह किया जा सके

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कथन है उनके द्वारा बेयनामा निरस्त करवाने का वाद भी सिविल न्यायालय में पेश किया जा चुका है हॉ यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 में से प्रतिवादी संख्या 1 ज्ञानचन्द ने सिविल न्यायालय में बैयनामा निरस्त करवाने का वाद पेश किया गया है यह वाद इस न्यायालय में बेयनामा अनुसार भूमि दर्ज करवाने का वाद पेश होने के दो वर्ष के बाद पेश किया गया है अर्थात हस्तगत वाद में साक्ष्य जुटाने के लिये पेश किया जाना प्रतीत होता है साथ ही सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद का निस्तारण भी जो चुका है वाद संख्या 179/2015 अनवानी ज्ञानचन्द बनाम अर्जुन कुमार के फर्द अहकाम दिनांक 01.10.2021 के अनुसार बैयनामा निरस्त करवाने का वाद अदम पैरबी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है उसके पश्चात उक्त वाद में क्या कार्यवाही हुई है के सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है अर्थात पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार बैयनामा दिनांक 25.09.1974 को निरस्त करवाने का वाद खारिज हो चुका है अर्थात बैयनामा आज भी बैध एव प्रभावी है जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 जो जैसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम के वारिस है बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारी समाप्त नही हो जाते है वह कभी भी बैयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा सकता है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में ना होकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के कब्जा काश्त में हो मात्र कथन किया गया है कथनो के आधार पर कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है

तनकी न0 बैयनामा कुटरचित होने के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही करने एव बेयनामा आदिनांक तक बैध एव प्रभावी होने के कारण तनकी न0 3 प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तकनी न0 4 आया कि वाद भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 के पिता व 7 के पति जैसाराम का कोई अधिकार नही है ?</u> **प्रतिवादी**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 का कोई हक अधिकार नही हो

वाद भूमि जो पूर्वं में गोपालराम पुत्र रामचन्द एव फरसाराम वल्द बेगा के हक हिस्सा की थी जिसमें से गोपालराम के देहान्त होने पर फरसाराम विधिक वारिस होने पर गोपालराम की भूमि फरसाराम को प्राप्त हुई जिसके द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 25.09.1974 जैसाराम , अनकोरी बेवा मानाराम को बेचान कर दिया जैसाराम जो अनकोरी का खोलायत पुत्र था अनकोरी एवं जैसाराम के देहान्त होने पर विधिक वारिस वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 है अर्थात जैसाराम व अनकोरी के द्वारा खरीद की गई भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है

अतः तनकी न0 4 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व एव वादी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से साबित हो चुका है कि मौजा खुईया के साबिका खसरा न0 267 हाल खसरा न0.634 की कुल 58.11 बीघा [illegible] में गोपालराम वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा अर्थात 9.18 बीधा एव फरसाराम [illegible] हिस्सा अर्थात 9.18 बीधा हिस्सा था गोपालराम के लावल्द कुंवारा फौत होने पर फरसाराम विधिक वारिस होने के कारण गोपालराम के हिस्से की भूमि का हकदार भी फरसाराम हुआ अर्थात फरसाराम 19.16 बीधा का हकदार हो गया था फरसाराम ने अपने हक हिस्सा की 19.16 बीधा भूमि को जैसाराम ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

अनकोरी बेवा मानाराम को जरिये बैयनामा दिनांक 25.09.1974 के बेचान कर दिया गया था जैसाराम व अनकोरी का खोलायत पुत्र था दोनो का ही देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 है प्रतिवादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे फरसाराम के द्वारा करवाये गये बैयनामा को कुटरचित फर्जी कहा जा सके मात्र कुटरचित होने का कथन किया हे कोई साक्ष्य नही है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 68/65 की कुल 14.8130हैक में गोपाल वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा, व फरसा वल्द बेगा का 1/6 हिस्सा अर्थात कुल 19.16 बीधा भूमि दर्ज को कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 बहिब (अर्थात 19.16 बीधा) के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अर्जून कुमार पुत्र जैसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम

1. ज्ञानचन्द पुत्र फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर
3. भानीराम पुत्र फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
4. निर्मला पुत्री फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
5. विदयादेवी पुत्री फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर
6. कौशल्या पुत्री फरसाराम वल्द पैमा जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

7. बिरमादेवी पत्नी जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।।
8. लिछमा पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
9. परमेश्वरी पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
10. राजकुमारी पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
11. मायादेवी पुत्री जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
12. भीमसैन पुत्र जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
13. रमेश कुमार पुत्र जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।
14. शंकरलाल पुत्र जेसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मंदरपुरा तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 200 सन 2013 निर्णय दिनांक– 12/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 68/65 की कुल 14.8130हैव में गोपाल वल्द रामचन्द का 1/6 हिस्सा, व फरसा वल्द बेगा का 1/6 हिस्सा अर्थात कुल 19.16 बीधा भूमि दर्ज को कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 बहिब (अर्थात 19.16 बीधा) के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:51 IST
Reason: SelfAttested